न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील/टीए/3867/2004/गंगानगर

1. देवीलाल
2. रूपाराम
3. भगदराम

–पुत्रगण उदाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम खारिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

–अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. शंकर
2. गणेश
3. मनीराम

–पुत्रगण कुरडाराम सांसी निवासीगण ग्राम खारिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

4. राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
श्री खजान सिंह, सदस्य

उपस्थित

श्री रामरघुनाथ, ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः–29–11–2022

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–8–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 125, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी चक 103 आर.डी.ए मु.नं. 127/46 का किला नम्बर 6,7,8,14 ता 15 मु.नं. 127/54 का किला नं. 3,8 ता 13, 18 ता 20, 22, 23 प.न. 127/55 का किला न. 2,3 प.न. 127/63 का किला नं. 6, 7, 14 ता 19 प.न. 147/7 का किला नं. 10, 11, 20 कुल 30–02 बीघा भूमि पेमूदा की गई परन्तु जमाबन्दी बनाते समय वादी की मु.नं. 127/54 किला नं. 21 की 1–100 बीघा, 127/55 की किला नं. 1, 127/46 की किला नं. 24, 25 व 16, 17, 18 व 23 की 6.16 बीघा भूमि रिकार्ड में दर्ज होने से रह गई है, जो दर्ज की जावे तथा इसी चक की मु.नं. 127/46 के किला नं. 6, 7, 8, 13=4–00 बीघा व मु.नं. 127/54 के किला नं. 3, 8, 9=3–00 बीघा कुल 7–00 बीघा भूमि जो वादी की नहीं है, उसे कलमजन किया जावे। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। उक्त वाद तथा जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 7 विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 15–09–2000 पारित करते हुए वादी के वाद को स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय ने उक्त आज्ञा इस आशय के साथ पारित की कि चक 103 आर.डी.एल. के मु.नं. 127/54 के किला नं. 21 की 1–100, 127/55 के किला नं. 1 की 1–100, 127/46 के किला नं. 16, 17, 24, 25, 18 की 0–08, 23 की 0–08, कुल 6–16 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम कलमजन कर वादी के नाम आराजी काश्त का दर्ज किया जावे व वादी के खाते में दर्ज भूमि चक 103 आर.डी.एल. के मु.नं. 127/46 के किलाा नं. 6, 7, 8, 13 व मु.नं. 127/54 के किला नं. 3, 8, 9 की 3–00 बीघा कुल 7–00 बीघा को कलमजन कर आराजी राज किये

जाने के आदेश किये जाते है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनते हुए व उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर आक्षेपित निर्णय व दिनांक 15-09-2000 पारित कर आलोच्य अपील को स्वीकार उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-9-2000 को निरस्त कर प्रकरण को निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय का पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने अपील के संबंध उभयपक्ष की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधनों के सर्वथा विपरीत है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। उनका आगे यह कहना है कि वादी ने अपने वाद में समर्थन में सूची नं. 4 की नकल जमाबंदी सम्वत 2048 से 2051 आदि दस्तावेज पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में उदाराम, पतराम, भगवानसिंह डालूसिंह किशनाराम के बयानात कलम बंद कराये गये। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के कारण प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गई। जिसको प्रतिवादीगण द्वारा कही भी चुनौती नहीं दी गई है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादीगण को साक्ष्य का पुनः अवसर देकर कानूनी भूल की है। उनका तर्क है कि न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि समस्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध होने पर प्रकरण रिमाण्ड नहीं करना चाहिए। उनका आगे तर्क है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 जा. दी. के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 07-08-2004 को निरस्त करते हुए विद्वान उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा पारित

निर्णय व डिक्री दिनांक 15–09–2000 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

5. इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए मामले में पारित आक्षेपित निर्णय को विधि सम्मत होना कहा है। उनका कहना है कि विवादित आराजी अस्थाई काश्त की भूमि होने के कारण ऐसी भूमि के संबंध में घोषणा का वाद दायर नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कहना है कि आराजी पुख्ता आवंटन की भूमि होने के कारण ऐसी भूमि के क्रम में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। उन्होंने बताया कि यदि किसी रकबे में गलती हो गई हो तो ऐसी स्थिति में बंदोबस्त की कार्यवाही के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जरिये अपील चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने विवादित आराजी के क्रम में लगभग 35 वर्ष की एक लम्बी व्यतीत हो जाने के उपरान्त घोषणा का दावा कर अनियमितता की है। उन्होंने यह भी बताया कि आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अभाव में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी का 6–16 बीघा भूमि वादीगण के नाम दर्ज होने की स्थिति में प्रतिवादीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा यहीं नहीं वादीगण व प्रतिवादीगण का रकबा दूरी पर स्थित होने के कारण ऐसी भूमि का एकीकरण भी नहीं किया जा सकता। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधिनुकूल होने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी द्वितीय अपील स्वतः ही सारहीन होना प्रकट होती है। अन्त में उन्होंने आलोच्य द्वितीय अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने प्रश्नगत आराजियात के संबंध में धारा 125 व 136 भू

राजस्व अधिनियम एवं धारा 88 व 188 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर आराजी चक 103 आर.डी.ए मु.नं. 127/46 का किला नम्बर 6,7,8,14 ता 15 मु.नं. 127/54 का किला नं. 3,8 ता 13, 18 ता 20, 22, 23 प.न. 127/55 का किला न. 2,3 प.न. 127/63 का किला नं. 6, 7, 14 ता 19 प.न. 147/7 का किला नं. 10, 11, 20 कुल 30-02 बीघा भूमि पेमूदा की गई परन्तु जमाबन्दी बनाते समय वादी की मु.नं. 127/54 किला नं. 21 की 1-100 बीघा, 127/55 की किला नं. 1, 127/46 की किला नं. 24, 25 व 16, 17, 18 व 23 की 6.16 बीघा भूमि रिकार्ड में दर्ज होने से रह गई है, जो दर्ज की जावे तथा इसी चक की मु.नं. 127/46 के किला नं. 6, 7, 8, 13=4-00 बीघा व मु.नं. 127/54 के किला नं. 3, 8, 9=3-00 बीघा कुल 7-00 बीघा भूमि जो वादी की नहीं है, उसे कलमजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। आलोच्य वाद की कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 4 राज्य सरकार ने अपना जवाबदावा पेश कर अंकन किया कि **खसरा संख्या 103 आर.डी.एल. के मु.नं. 127/54 का मु.नं. 21 1 बीघा मु.न. 127/55 कि.नं. 1 बीघा मु.न. 127/46 कि.न. 16/1 बीघा, 17/1 बीघा, 18/8 बीघा, 23/8 बीघा 24/1 बीघा, 25/1 बीघा कुल 6 बीघा 16 बिस्वा मुताबिक रेकार्ड के शंकर, गणेश, मनीराम पि. कुरडारम, गोरादेवी, सरस्वती, संतोष पुत्रियां कुरडाराम सांसी आराजी काश्तकार वाद का दर्ज है परन्तु मुताबिक खसरा संख्या हल्का मोकलसर के इन उपरोक्त खसरा संख्या कब्जाकाश्त उदाराम पुत्र लादुराम मेघवाल निवासी ग्राम बारिया का कब्जा काश्त है तथा उदाराम ढाणी बना आबाद है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजियात पर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के अनुसार उदाराम पुत्र लादुराम मेघवाल का कब्जा काश्त है।** उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में कमीश्नर रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है। अतः कमीश्नर रिपोर्ट में किए गए अंकन के अनुसार विवादित आराजियात चक 103 आरडीएल के मुरब्बा नम्बर 127/54, 127/55 व 127/46 में कुल 6-16 बीघा भूमि का मौके पर कब्जा उदाराम पुत्र लाधूराम के कब्जेकाश्त में होना प्रमाणित है। जिसका गलत इन्द्राज जमाबंदी में किए जाने के कारण वादी को वादकारण उत्पन्न हुआ है। साराशंतः वादी

मुताबिक साक्ष्य अपने गलत इन्द्राज भूमि को कलमजन कर आराजी अपने नाम करवाने बाबत जो अनुतोष चाहा है, उसे प्रदान करने में विचारण न्यायालय ने किसी विधि अथवा उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत होना नहीं पाया जाता है। तदनुसार मूल वाद की कार्यवाही में उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 15–9–2000 विधि सम्मत पाये जाने के कारण समर्थन योग्य है।

8. उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा आलोच्य अपील को स्वीकार कर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त प्रकरण में पुनः निर्णय किए जाने हेतु मामले को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। मामले में पारित आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किए जाने पर यह विदित होता है कि अपीलीय न्यायालय ने विवेचित किया है तनकियात तय करते समय प्रतिवादीगण की साक्ष्य का विवेचन नहीं किया गया है। उक्त क्रम में उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह व्याख्या की गई है कि वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य कराई किन्तु प्रतिवादीगण ने वाद में किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं कराये जाने के कारण साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई है, अतः इस बिन्दु बाबत अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष उचित नहीं है। द्वितीय यह कि अपीलीय न्यायालय ने विचाराधीन वाद को सुनने की अधिकारिता विचारण न्यायालय को नहीं होना उद्धरत किया है। हमारे मतानुसार वाद दुरूस्ती से संबंधित होने के कारण ऐसे वाद का विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत विचारण किया गया है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मामले में राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 07–8–2004 अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग व उपलब्ध रेकार्ड व विधि की भावना के विपरीत पारित किए जाने कारण त्रुटिपूर्ण होना घोषित किया जाता है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता। स्थिति यह प्रकट होती है कि आलोच्य द्वितीय अपील में तथ्य व विधि का बिन्दु निहित

होने के कारण इसे स्वीकार किया जाकर आक्षेपित निर्णय को निरस्त कर मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना उचित पाया जाता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–8–2004 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–9–2000 को यथावत जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य